



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री



बिहार सरकार



श्री कपिलदेव कामत
माननीय मंत्री

बिहार सरकार पंचायती राज विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2017—18

वार्षिक कार्यक्रम 2018—19



प्रस्तावना

आम ग्रामीण जनता के लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। इस ऐतिहासिक अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया गया है। महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने हेतु स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण एवं अभिवंचित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों के कार्यों एवं दायित्वों का प्रतिनिधायन किया गया है। पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तरों से निधियाँ उपलब्ध करायी जा रही है, जिनसे पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढीकरण के साथ-साथ मूलभूत आवश्यकताओं के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतें प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी हैं। राज्य में चौदहवें वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री अन्नकलश योजना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं विद्यालय शिक्षा समिति इत्यादि के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से दो महत्वपूर्ण निश्चयों यथा-हर घर नल का जल एवं ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण योजना के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। ग्राम पंचायतें इन योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड स्तर पर गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से करायेंगी। इस हेतु बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 गठित की गई है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा ₹05.00 लाख से बढ़ाकर ₹15.00 लाख की गई है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों को प्रतिनिधायन एवं अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इस राशि का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता, नाली-गली निर्माण, जैसा की राज्य सरकार के सात निश्चय में शामिल है, एवं स्मार्ट पंचायत बनाने हेतु, क्षमतावर्द्धन, ई-गवर्नेंस, प्रशिक्षण, पंचायत सरकार भवन, जिला परिषद् भवन तथा “मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना” हेतु किया जा रहा है। सामाजिक प्रक्षेत्रों के अन्य कार्यक्रमों में योजना निर्माण एवं अनुश्रवण का कार्य पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत, सर्वांगीण, समेकित, समावेशी और सहभागितापूर्ण योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का गठन किया गया है। GPDP पंचवर्षीय Perspective Plan 2015–20 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 का वार्षिक योजना तैयार कर वार्ड सभा से अनुमोदन प्राप्त करेगी। पंचायतें अपने आर्थिक संसाधन स्वयं उत्पन्न कर सकें, इस उद्देश्य से राज्य सरकार शीघ्र ही उन्हें कतिपय मामलों में कर/फीस अधिरोपित करने का अधिकार देने जा रही है। बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायत के प्रतिनिधियों को लोकसेवक घोषित किया गया है। पंचायत प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन बिना किसी डर के सम्यक रूप से कर सकें, इस हेतु उनसे संबंधित मामलों की जाँच एवं कार्रवाई करने हेतु मानक प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों के निर्वहन में अनावश्यक प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़े। पंचायत कार्यालयों के निरीक्षण एवं पंचायती राज संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण एवं मामलों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली बनायी गयी है। पंचायती राज संस्थाएं अपने कार्यों का संचालन समुचित रूप से कर सकें, इस हेतु बिहार पंचायत (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 का गठन किया गया है। बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015–16 के माध्यम से प्रत्येक वार्ड के स्तर पर वार्ड सभा गठित किये जाने का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के प्रमुख/उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि पदावधि के प्रथम दो वर्षों के बाद उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, पर पूरी पदावधि में ऐसा अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है। इस प्रावधान से अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से निर्वाचित प्रमुखों/उप प्रमुखों को बार-बार अस्थिर करने के प्रयास विफल कर दिये गये हैं। प्रतिनिधियों/कर्मियों के क्षमतावर्द्धन हेतु सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है एवं इस कार्य के मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अभिनव प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र तथा जिला मुख्यालयों में पंचायत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ई-मिशन मोड लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी पंचायतों के लेखा, योजनाओं एवं कार्यों के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य चल रहा है। पंचायती राज संस्थाओं

की क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए तथा अभिनव प्रयोगों को लागू करने हेतु एक स्वतंत्र बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी का गठन किया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा आम लोगों की कारगर ढंग से साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष 2012-2019 की यह परियोजना अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है। इस परियोजना द्वारा चयनित जिलों में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) के माध्यम से कुल 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार के संकल्प संख्या-2517 दिनांक 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को हर स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (मासिक) भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक घटनाओं, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी गयी है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से उन्हें परिचय पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और नोटिस, आदि का तामिला सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से चौकीदारों की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम कचहरी के सरपंच पंचायत स्तर पर न्याय व्यवस्था के प्रमुख हैं। इस दृष्टिकोण से विशिष्ट पहचान हेतु उन्हें न्याय पगड़ी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम कचहरियों की कार्यक्षमता को अनवरत जारी रखने के लिए पूर्व में चयनित न्यायमित्रों को ग्राम कचहरी की कार्यावधि समाप्त हो जाने के बाद नये सिरे से न्यायमित्रों का नियोजन होने तक सभी पंचायतों में विहित शर्तों के अधीन कार्यरत रखा गया है। ग्राम कचहरी सचिवों को देय मानदेय की राशि ₹2000.00 से बढ़ाकर ₹6000.00 प्रतिमाह तथा न्यायमित्रों को देय नियत फीस ₹2500.00 को बढ़ाकर ₹7000.00 प्रतिमाह कर दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को सशक्त, समावेशी, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। भविष्य में भी पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु ये प्रयास जारी रखे जाएंगे।

इस वार्षिक प्रतिवेदन में पंचायती राज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न प्रक्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों को संकलित किया गया है।

शुभकामनाओं सहित,

(श्री कपिलदेव कामत)
मंत्री,
पंचायती राज विभाग।

पंचायती राज विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

सामान्य विवरण

भारतीय संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत एवं 73वें संविधान संशोधन की भावना को मूर्त रूप देते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया है एवं स्थानीय स्वशासन में आम लोगों की सहभागिता बढ़ाने, पारदर्शिता लाने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों की सभी कोटियों में एकल पदों सहित सभी पदों पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में 38 जिला परिषदें, 534 पंचायत समितियाँ, 8391 ग्राम पंचायतें एवं 8391 ग्राम कचहरियाँ कार्यरत हैं (परिशिष्ट-1)।

पंचायती राज विभाग में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध मुख्य शीर्ष 2515, 2015 एवं 3451 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-16 अंतर्गत राज्य स्कीम मद के मुख्य शीर्ष 2515 एवं 4515 में कुल ₹243100.00 लाख (चौबीस अरब इक्कतीस करोड़ रुपये) मात्र तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के मुख्य शीर्ष 2015, 2515 एवं 3451 में कुल ₹752439.55 लाख (पिचहत्तर अरब चौबीस करोड़ उन्नचालीस लाख पचपन हजार रुपये) मात्र की राशि का उपबंध है (विवरणी परिशिष्ट 2 एवं 3)।

2. चौदहवाँ वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से राज्य की ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के अन्तर्गत कुल ₹18916.05 करोड़ (एक सौ नवासी अरब सोलह करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र तथा कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक कुल ₹2101.78 करोड़ (इक्कीस अरब एक करोड़ अठहत्तर लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल मिलाकर ₹21017.83 करोड़ (दो सौ दस अरब सत्रह करोड़ तिरासी लाख रुपये) मात्र की राशि वित्तीय वर्षवार निम्नरूपेण कर्णांकित की गई है:—

(राशि—करोड़ रुपये में)

	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
बुनियादी अनुदान	2269.18	3142.08	3630.39	4199.71	5674.70	18916.05
निष्पादन अनुदान		412.15	466.41	529.67	693.55	2101.78
कुल	2269.18	3554.23	4096.8	4729.38	6368.25	21017.83

इस राशि में से वित्तीय वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹3630.39 करोड़ (छत्तीस अरब तीस करोड़ उनचालीस लाख रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को PFMS Portal के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की कंडिका 9.56 में यह अनुशंसा है कि बुनियादी अनुदान (Basic Grant) की राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित मूलभूत सेवाओं, यथा जलापूर्ति (Water Supply), स्वच्छता जिसके अन्तर्गत सेप्टेज प्रबंधन (Sanitation including septage management) सहित मल व्यवस्था (Sewerage), वर्षा जल की निकासी (Storm water drainage) तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid waste management) भी शामिल है, सड़कों पर रोशनी (Street lighting), स्थानीय निकाय की सड़कें एवं पैदल पथ (Local body roads and footpaths), उद्यानों (Parks), खेल के मैदानों, कब्रिस्तान और श्मशान के सुदृढीकरण तथा रख-रखाव पर किया जायेगा। विभागीय पत्रांक 465 दिनांक 27.01.2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को देय बुनियादी अनुदान के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में कार्य निष्पादन अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों को अपने निजी आय में वृद्धि एवं संपरीक्षित लेखा प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अद्यतन प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक कार्य निष्पादन

अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु सभी ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित अनिवार्य शर्त/अहर्ता प्राप्त की जानी है:-

क्र०	अनिवार्य मानदंड (Mandatory Criteria)	भारिता (Weightage)
i	कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नहीं होंगे।	अनिवार्य (Mandatory)
ii	ग्राम पंचायतों को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में वृद्धि भी करनी होगी और यह वृद्धि लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थापित होनी चाहिए।	अनिवार्य (Mandatory)
iii	Gram Panchayat Development Plan (GPDP) द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान के संवितरण एवं Plan Plus Portal पर अपलोड किया जाना होगा।	अनिवार्य (Mandatory)
iv	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित डैशबोर्ड/बेवसाईट पर 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त अनुदानों की राशि के प्रक्षेत्रवार खर्च को पूर्व वर्षों से दावा वर्ष तक अपलोड/प्रदर्शित किया जाना होगा।	अनिवार्य (Mandatory)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल **₹4729.38 करोड़ (सैंतालीस अरब उनतीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये)** मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

3. ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को बुनियादी सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु अनुदान की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से ग्राम पंचायत का कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत एवं व्यापक हुआ है। जिसके तहत ग्राम पंचायतों को एक विस्तृत, सर्वांगीण, समेकित, समावेशित और सहभागितापूर्ण योजना बनाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्णित कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा योजना तैयार की जा रही है। इस क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास

संबंधी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए पांच वर्षों के लिए दीर्घकालिक (वर्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20) और तत्काल दो वर्षों के लिए वार्षिक कार्य योजना का ग्रामीण विकास विभाग के IPPE-II (मिशन अंत्योदय) नियोजन प्रक्रिया के तहत अभिसरण कर बनाई जा रही है। साथ ही अन्य विभागों, यथा: समाज कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग आदि, से संबंधित वार्ड एवं पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सूचनाएं संग्रहित करने की भी कार्रवाई की जा रही है।

4. पंचम राज्य वित्त आयोग

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 1510 दिनांक 24.02.2016 द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को निम्नरूपेण राशि उपलब्ध कराई जानी है:—

(क) राज्य के शुद्ध करों के अंतरण से प्राप्त प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि :— पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली प्रतिनिधायन (Devolution) मद की राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु सुधार कार्यक्रमों को यथा— आंतरिक राजस्व (कर एवं कर से भिन्न) की वृद्धि, आंतरिक अंकेक्षण एवं ससमय लेखा प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था को लागू करने, ग्राम सभा, वार्ड सभा, स्थायी समिति, सामाजिक अंकेक्षण सुदृढीकरण पर, मौजूदा सेवा एवं आधारभूत संरचना के ऑपरेशन एवं रख-रखाव, अगर किसी खास अनुदान के घटक के लिए राशि पर्याप्त नहीं है तो पूरक अनुदान के रूप में, पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, नाली-गली के पुरानी सुविधाओं में बदलाव एवं इनका निर्माण, BRGF एवं RGPSA की वैसी अपूर्ण योजनाएँ जिनकी भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत से अधिक है एवं राशि के आभाव में इन्हें पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है को पूर्ण करने में किया जा रहा है।

प्रतिनिधायन (Devolution) मद में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली राशि का 90 प्रतिशत सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अन्तर्गत 7 निश्चयों में पंचायती राज विभाग द्वारा निम्नलिखित दो निश्चयों यथा—मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना पर व्यय किया जा रहा है। शेष 10 (दस) प्रतिशत राशि का उपयोग आंतरिक अंकेक्षण तथा ससमय लेखा प्रस्तुतीकरण, पूर्व की सेवाओं एवं संरचनाओं के ऑपरेशन एवं रख-रखाव पर व्यय किया जा रहा है।

प्रतिनिधायन मद में जिला परिषद् एवं पंचायत समिति को प्राप्त होने वाली राशि का व्यय पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति, गली-नाली एवं स्वच्छता (सेनीटेशन) पर किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रतिनिधायन मद में प्रथम किस्त के रूप में ₹685.65 करोड़ (छह अरब पिचासी करोड़ पैंसठ लाख रुपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्न प्रकार आवंटित की गई है:-

क्र०	निकाय	राशि(करोड़)
1	ग्राम पंचायत	₹479.95
2	पंचायत समिति	₹68.57
3	जिला परिषद्	₹137.13
कुल		₹685.65

(ख) अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि : पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ई-गवर्नेन्स, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने, जिला परिषद् कर्मियों के बकाया वेतन, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय हेतु जगह, ग्राम कचहरी के कार्यालय व्यय/फर्नीचर एवं राज्य वित्त आयोग कोषांग(वित्त विभाग एवं पंचायती राज विभाग) के सुदृढीकरण हेतु किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान (Grant) मद में प्रथम किस्त के रूप में ₹530.00 करोड़ (पाँच अरब तीस करोड़ रुपये) मात्र की राशि त्रिस्तरीय पंचायतों को निम्न प्रकार आवंटित की गई है:-

क्र०सं०	निकाय / कोषांग		राशि
1	ग्राम पंचायत		₹300.47
2	पंचायत समिति		₹42.92
3	जिला परिषद् अनुदान एवं बकाया वेतन		₹138.85
4	ग्राम कचहरी		₹41.93
5	राज्य वित्त आयोग कोषांग	जिला पंचायत कार्यालय में	₹3.80
		पंचायती राज विभाग	₹2.03
कुल			₹530.00

ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि विभाग द्वारा PFMS Portal के माध्यम से उनके बैंक खाते में अंतरित कराई जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कुल ₹2431.31 करोड़ (चौबीस अरब इक्कतीस करोड़ इक्कतीस लाख रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

5. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाईटी (विश्व बैंक सहायता से पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण)

विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर के सहयोग से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2012-2019 की बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना अब राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) के 204 प्रखंडों के 3186 ग्राम पंचायतों में संचालित की जा रही है।

इस परियोजना में निम्नांकित अवयवों पर कार्य किये जा रहे हैं :-

अवयव-1— पंचायत सरकार भवन

(क) पंचायत सरकार भवन :- इस परियोजना अन्तर्गत राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवन का निर्माण बिहार सरकार द्वारा पूर्व के स्वीकृत डिजाइन के अनुसार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाना है।

(ख) नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनयुक्त पंचायतों को क्रियाशील करना

राज्य के 12 जिलों (पटना, नालन्दा, भोजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील बनाया जाना है। जिसमें पर्याप्त संख्या में मानव बल (पंचायत सचिव, लेखापाल, डाटा इंट्री ऑपरेटर, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत रोजगार सेवक) उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार टेबल, कुर्सी, पंखा, अलमीरा, फाइल कैबिनेट, कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू०पी०एस० तथा स्कैनर आदि उपलब्ध कराया जायेगा। क्रियाशील पंचायतों के सभी 6 स्थायी

समितियों का गठन किया जाना है ताकि उनके द्वारा संवैधानिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन किया जा सके।

अवयव-2

पंचायतों का क्षमतावर्द्धन

परियोजना के इस अवयव में अब संस्थागत क्षमतावर्द्धन के तहत ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक क्षमता निर्माण, वित्तीय प्रबंधन आदि क्षेत्रों में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं उनके कर्मियों का क्षमतावर्द्धन किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं अन्य सुसंगत नियम एवं कानून की जानकारी हेतु लगातार प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि पंचायत स्तर पर बेहतर ढंग से योजनाओं का सूत्रण एवं प्रखण्ड से लेकर जिला स्तर पर उन योजनाओं का समेकीकरण हो सके। पंचायत प्रतिनिधियों के क्षमतावर्द्धन के उद्देश्य से एक्सपोजर विजिट कराकर उनके व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि की जायेगी। जन जागरूकता के लिए जन संचार एवं लोक संचार माध्यमों से परियोजना के सभी 12 जिलों में जागरूकता संबंधित अभियान चलाया जायेगा। पूर्व प्रस्तावित विकासात्मक क्षमतावर्द्धन यथा— पेयजल, स्वच्छता, पोषण एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के व्यापक क्रियान्वयन के स्थान पर पेयजल एवं स्वच्छता में केवल ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करने एवं कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के मानक स्थापित करने का प्रावधान किया जायेगा।

अवयव-3

शक्तियों के क्रमबद्ध विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतों के सशक्तीकरण के उचित प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर क्षमतावर्द्धन

पूर्व प्रस्तावित प्रशिक्षण संबंधी सभी गतिविधियों को अवयव 2 के अंतर्गत समाहित करते हुए इस अवयव का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यरूप (Regulatory framework) का सुदृढीकरण करना होगा। जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे :-

- (i) बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विभिन्न पंचायत नियमावली तैयार कराई जायेंगी।
- (ii) ग्राम पंचायतों के लेखा संधारण एवं अंकेक्षण हेतु नियमावली एवं हस्तक तैयार कराया जायेगा।

- (iii) ग्राम पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु राज्यव्यापी व्यवस्था स्थापित की जायेगी। परियोजना जिले के सभी 3186 ग्राम पंचायतों का लेखा संधारण एवं वार्षिक वित्तीय अंकक्षण कराया जायेगा।
- (iv) ग्राम पंचायतों के लिये लेखा संधारण में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना। सूचना प्राद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जायेगा। इस निमित्त "Gram Panchayat Management System" तैयार किया जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकासात्मक एवं प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने, पारदर्शिता से कार्य कराने तथा कारगर ढंग से आम लोगों की साझेदारी सुनिश्चित कराने, पंचायत सरकार भवनों के निर्माण तथा सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक की सहायता से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल ₹200.00 करोड़ (दो अरब रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

6. मुख्यमंत्री निश्चय योजना

सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा "सात निश्चय" लिये गये हैं जिनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा रहा है, जो निम्नवत् है:-

(i) मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना:- इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा जलापूर्ति की छोटी-छोटी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके लिए साधारणतः भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मान कर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली जा रही है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, सबमर्सिबल पम्प एवं डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाइन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। बिजली की अनुपलब्धता की स्थिति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल कर जलापूर्ति की जायेगी। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। बोरिंग से सीधे पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। इस योजना के लिए स्थानीय क्षेत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। विभिन्न विशिष्टियों के अनुसार मानक प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर ग्राम पंचायतों को भेजा जा रहा है। स्थानीय आवश्यकता अनुसार मानक प्राक्कलन के आधार पर विशिष्ट योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर क्रियान्वित किया जा रहा है। मानक प्राक्कलन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार की सहायता से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण

पेयजन निश्चय योजना अंतर्गत कुल चिन्हित कुल 69079 वार्डों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 तक अद्यतन 18099 वार्डों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

(ii) मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना:- इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के अन्तर्गत बसावटों को सम्पर्कता एवं ग्राम के अन्तर्गत गली-नाली का पक्कीकरण हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा ईट सोलिंग, पेभर ब्लॉक एवं पी०सी०सी० गली निर्माण (नाली के साथ) की छोटी-छोटी योजनाएं चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जा रही है। ग्राम पंचायत क्षेत्रों की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, यथा:- मिट्टी का प्रकार, पानी की निकासी, आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग क्षेत्रों के अनुरूप गली-नाली निर्माण हेतु विभिन्न विशिष्टियों के विभिन्न प्रकार के मानक प्राक्कलन तैयार किये गए हैं। मानक प्राक्कलनों की तैयारी में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार की सहायता ली गई है। इस योजना में आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना अंतर्गत कुल चिन्हित कुल 114733 वार्डों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 तक अद्यतन 31172 वार्डों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय प्रबंधन राज्य योजना मद की राशि के अतिरिक्त चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होने वाली अनुदान की राशि एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होनेवाली प्रतिनिधायन की राशि एवं अन्य केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर की जा रही है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹192500.00 लाख (उन्नीस अरब पच्चीस करोड़ रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

7. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण योजना (RGPSA)

(क) पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन के दृष्टिकोण से “राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान” केन्द्र प्रायोजित योजना वर्ष 2013-14 से बिहार राज्य में लागू की गई है।

योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा के सुदृढीकरण, क्षमतावर्द्धन, आधारभूत ढाँचा का विकास, राज्य निर्वाचन आयोग के आधुनिकीकरण आदि का प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज विभाग के स्तर से इस योजना की दीर्घकालीन परियोजना पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी है। इस योजना में वर्ष 2013-2017 में कुल ₹1629.30 करोड़ (सोलह अरब उनतीस करोड़ तीस लाख रुपये) मात्र की राशि का व्यय प्रस्तावित है।

जिसमें केन्द्रांश ₹1221.98 करोड़ (बारह अरब एक्कीस करोड़ अठानवे लाख रुपये) मात्र की राशि तथा राज्यांश ₹407.32 करोड़ (चार अरब सात करोड़ बत्तीस लाख रुपये) मात्र की राशि प्रस्तावित है।

वर्ष 2013-14 में कुल ₹861.00 लाख (आठ करोड़ एकसठ लाख रुपये) मात्र की राशि भारत सरकार से योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त हुई है जिसमें से अभी तक कुल व्यय राशि लगभग ₹3.00 करोड़ (तीन करोड़ रुपये) मात्र की राशि है।

वर्ष 2014-15 की कार्य योजना हेतु भारत सरकार द्वारा कुल ₹18573.35 लाख (एक अरब पच्चासी करोड़ तेहत्तर लाख पैंतीस हजार रुपये) मात्र की राशि अनुमोदित की गई है जिसके केन्द्रांश के प्रथम किश्त की 50% राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹67.775 करोड़ (सड़सठ करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार रुपये) मात्र की राशि नवम्बर, 2014 में राज्य को प्राप्त हुई है।

योजनान्तर्गत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् है:-

- (i) **Construction & Repair of GP building :-** 15 लाख प्रति पंचायत भवन की दर से कुल 74 पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है।
- (ii) **Capacity Building and Training:-** चार विभिन्न मॉड्यूल्स पर पाँच-पाँच दिवसीय ToT सभी मास्टर रिसोर्स परसन (MRP) एवं जिला स्तर पर जिला रिसोर्स परसन (DRP) को प्रदान की गयी है।

मास्टर रिसोर्स परसन प्रशिक्षकों हेतु कौशल विकास विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राज्य के बाहर Exposure Visit का आयोजन किया गया है जिसके अन्तर्गत अभी तक 51 स्नातक तथा स्नातकोत्तर/डिग्रीधारक मुखिया को दो समूह में महाराष्ट्र तथा राजस्थान की अच्छी पंचायतों का भ्रमण कराया जा चुका है। राज्य के अंदर भी Exposure Visit की कार्रवाई की जानी है।

पंचायतों में मानव संसाधन की तैनाती के समय सभी कर्मियों को ई-पंचायत तथा कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना बनाई गई है।

- (iii) **Institutional structure :-** राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (SPRC) की स्थापना हेतु पटना के छज्जूबाग स्थित हिन्दी भवन, जिसमें पहले चन्द्रगुप्त प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत था, को तत्काल पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को आवंटित किये जाने का निर्णय दिनांक 16.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया है तथा पंचायती राज विभाग इसे उच्चतम मानकों के अनुरूप संसाधन केन्द्र के रूप में विकसित करेगा।

प्रत्येक जिले में ₹2 करोड़ की राशि से एक जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है जिसके प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 20 DPRC की स्थापना की जाएगी। इसके लिए जिला पदाधिकारियों को भूमि के चयन के संबंध में पत्र भेजा गया है।

वर्ष 2015-16 की कार्य योजना अंतर्गत कुल 120 प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) अनुमोदित हैं। प्रथम चरण में प्रत्येक अनुमंडलीय मुख्यालय प्रखंड तथा एक एक अतिरिक्त ऐसे जिले के प्रखंड जहाँ पूर्व से जिला पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अधिसूचित है, में स्थापित किये जाने हेतु जिलों को मार्गदर्शिका भेजी जा चुकी है।

- (iv) **IEC Activity :-** चार विषयों, यथा ग्राम सभा का सक्रियण, लिंग भेद तथा सामाजिक पहचान संबंधी चुनौतियाँ, विकास योजनाएँ एवं पंचायती राज व्यवस्थाएँ एवं लेखा व्यवस्थाएँ एवं महत्वपूर्ण व्यवस्थागत प्रक्रियाएँ, पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा एक प्रशिक्षकों हेतु संदर्शिका तैयार कर प्रकाशित की गई है, जिस पर आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा चुके हैं।

रेडियो मिर्ची के माध्यम से नब्बे दिनों का IEC Campaign राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के प्रचार-प्रसार हेतु किया गया है।

समाचार-पत्रों में भी राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के विषय में विज्ञापन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

प्रखंड एवं पंचायत स्तर हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री तथा DAVP एवं IPRD द्वारा अनुमोदित दरों पर IEC Campaign की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है।

ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी तथा आमजन में ग्राम सभा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

- (v) **Programme Management:-** राज्य स्तर पर e-Panchayat हेतु SPMU के गठन तथा जिला स्तर पर DPMU के गठन हेतु कुल ₹4.13 करोड़ (चार करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु RGPSA को केन्द्रीय सहायता सूची से Delist कर दिया गया था। किंतु माह, जुलाई, 2015 में पुनः कुछ प्रस्तावित मदों के अन्तर्गत इस योजना को संचालित रखने के निदेश पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त हुए हैं।

राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यांश मद में कुल ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) मात्र की राशि का बजट उपबंध कराया गया है।

8. शक्तियों का प्रतिनिधायन एवं कार्यमान चित्रण

राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन कई योजनाओं, यथा चौदहवें वित्त आयोग एवं पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त राशि से ली गयी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री निश्चय योजना इत्यादि का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इन योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9221 दिनांक 19.11.2014 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन किया जा रहा था। पुनः विभागीय संकल्प संख्या 9026 दिनांक 30.10.2017 द्वारा पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि से त्रिस्तरीय पंचायती

राज संस्थाओं द्वारा ली जानेवाली सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को प्रत्यायोजित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	पंद्रह लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता	तकनीकी	पंद्रह लाख रु० तक

विभागीय ज्ञापांक-9221 दिनांक-19.11.2014 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्राम पंचायत, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता की प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति की वित्तीय शक्ति की अधिसीमा की वृद्धि की गई है एवं शेष प्रावधान यथावत् रखे गये हैं।

9. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता

संविधान के 73 वें संशोधन में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर विकास कार्यों में जन सहभागिता प्राप्त करने के लिए, त्रिस्तरीय पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से शक्तियाँ एवं दायित्व सौंपे जा रहे हैं। फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों/जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच के दायित्वों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही सभी सदस्यों को नियमित रूप से बैठक में भी भाग लेना होता है। अतएव उनके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ते एवं यात्रा भत्तों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला तथा अन्य वर्ग की महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, को विशेष मानदेय की स्वीकृति विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3466 दि० 11.06.2013 द्वारा दी गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत/ग्राम कचहरी की बैठकों में भाग लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दैनिक भत्ता, विशेष मानदेय एवं यात्रा भत्ता के दावों की प्रमाणिकता निर्धारित करने में जिला

स्तर पर कठिनाई होती है एवं उनके लिए सही-सही यह आकलन करना मुश्किल होता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को विहित भत्तों के भुगतान हेतु वस्तुतः कितनी राशि की आवश्यकता है। फलस्वरूप जिलों से प्रखण्डों को उक्त मद में राशि आवंटित करने में कठिनाई तो होती ही है, आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी काफी विलंब हो जाता है।

तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2517 दि० 05.05.2015 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप सरपंच को पूर्व से स्वीकृत यथास्थिति नियत (प्रतिमाह) भत्ते, दैनिक भत्ता एवं विशेष मानदेय को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रतिमाह) भत्ता की स्वीकृति दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹35000.00 लाख (तीन अरब पचास करोड़ रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

10. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में संशोधन

वर्ष 2016-17 में उक्त अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं —

(क) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 5, 2016)

11. नियमावलियों का गठन

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-146 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी को सुदृढ़ करने हेतु अबतक निम्नलिखित नियमावलियाँ गठित की गई हैं :—

- (i) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006
- (ii) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली, 2006
- (iii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007
- (iv) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2007
- (v) बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली, 2007

- (vi) बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2008
- (vii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2008
- (viii) बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010
- (ix) बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य) नियमावली, 2011
- (x) बिहार ग्राम सभा (बैठक के संयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया) नियमावली, 2012
- (xi) बिहार पंचायत (उप विधि एवं विनियम-निर्माण-प्रक्रिया) नियमावली, 2012
- (xii) बिहार पंचायत (कार्यालय का निरीक्षण तथा कार्यकलापों की जाँच, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन) नियमावली, 2014
- (xiii) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन,सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014
- (xiv) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (ग्राम कचहरी न्यायमित्र की सेवा पुनः ली गयी)
- (xv) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015
- (xvi) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (चुनाव खर्च की अधिसीमा निर्धारण से संबंधित)
- (xvii) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 (नियत फीस ₹2500.00 से ₹7000.00 की गयी)
- (xviii) बिहार पंचायत निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2016 (आरक्षण निर्धारण किया गया)
- (xix) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2016 (प्राप्तांक समान रहने की दशा में निर्णय लिया जाना)
- (xx) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017

(xxi) बिहार जिला योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन (संशोधन) नियमावली, 2017

12. प्रक्रियाधीन नियुक्तियाँ एवं पद सृजन

(1) विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना की अनुशंसा प्राप्त की जानी है। इसके लिए बिहार ग्राम पंचायत (सचिव की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य) नियमावली, 2011 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली के अंतर्गत जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 13 दिनांक 02.01.2013 एवं पत्रांक 939 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को 3161 पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना भेजी गई है। पुनः जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक 8215 दिनांक 30.12.2016 द्वारा पंचायत सचिव की 1590 अतिरिक्त रिक्त पदों की अध्याचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजी गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लिपिक-सह-रोकड़पाल का पद सृजन प्रस्तावित है।

(3) बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कुल 50 (पचास) पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अध्याचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक 2170 दिनांक 21.04.2010 के माध्यम से प्रेषित है। शेष पदों पर नियुक्ति हेतु अध्याचना बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को प्रेषित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(4) पंचायत सचिव से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर कुल स्वीकृत पद के 25% (पच्चीस प्रतिशत) पदों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित है। प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों के विरुद्ध प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

14. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का गठन दिनांक 15.06.2006 के प्रभाव से हुआ है। इस अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 गठित की गयी है जो 28.06.2006 से प्रभावी है।

इस अधिनियम एवं नियमावली के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभाग (मुख्यालय) एवं राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, यथा ग्राम पंचायत, पंचायत

समिति एवं जिला परिषद् के लिए लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार निम्नरूपेण पदनामित किए गए हैं :-

(1) विभाग (मुख्यालय) स्तर पर :-

- (i) लोक सूचना पदाधिकारी — प्रशाखा पदाधिकारी
- (ii) सहायक लोक सूचना पदाधिकारी — संबंधित प्रशाखा/कोषांग के प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
- (iii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार — संयुक्त सचिव

(2) जिला परिषद् स्तर पर :-

- (i) लोक सूचना पदाधिकारी — निदेशक, लेखा प्रशासन—सह—अपर
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्
- (ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार — उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी, जिला परिषद्

(3) पंचायत समिति स्तर पर :-

- (i) लोक सूचना पदाधिकारी — संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी
- (ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार — संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी

(4) ग्राम पंचायत स्तर पर :-

- (i) लोक सूचना पदाधिकारी — संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी
- (ii) प्रथम अपीलीय प्राधिकार — संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी

15. बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, 2015 से संबंधित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (फरवरी, 2018 तक)

क्र०	आवेदनों का वर्गीकरण	प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या	कुल निष्पादित	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	विभागीय स्तर पर सुनवाई हेतु	283	283	0
2	प्रथम अपील	0	0	0
3	द्वितीय अपील	78	64	14
4	अंतरण	192	192	0
5	निगेटिव	93	93	0
कुल योग :-		646	632	14

16. पंचायत सरकार भवन

पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाईन तैयार किया गया है। भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, पंचायत स्टैंडिंग कमिटी के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय आदि का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग बहुद्देशीय होगा। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं अन्य आपदाओं में भी उसका उपयोग किया जा सकेगा।

सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का लक्ष्य है। तत्काल ₹1213.37 करोड़ (बारह अरब तेरह करोड़ सैतीस लाख रुपये) मात्र की राशि से 1435 (एक हजार चार सौ पैतीस) पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है। वर्तमान में 1401 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव प्राप्त है जिनमें से 1002 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 179 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है। इस कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम मद से मांग संख्या-35 के बजट शीर्ष में कुल ₹20000.00 लाख (दो अरब रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

17. अंकेक्षण

आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का अंकेक्षण इकाईवार एवं योजनावार तथा ग्राम कचहरियों का अंकेक्षण योजनावार कराने हेतु राज्य के 8391 ग्राम पंचायतों, 534 पंचायत समितियों तथा 38 जिला परिषदों को 85 क्लस्टर में विभक्त कर 85 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति की गई है। इन्हें निदेशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 का अंकेक्षण कार्य ससमय सम्पन्न कर अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। प्राप्त सूचनानुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में लगभग 5800 पंचायतों तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 6100 पंचायतों का अंकेक्षण कार्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही विभाग द्वारा State Level Audit and Financial Management Consultant की नियुक्ति हेतु RFP (Request For Proposal) जारी किया गया है। इस हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों से प्राप्त 09 Technical Proposal का Evaluation करने के उपरांत योग्य फर्मों का Financial Proposal खोलकर शीघ्र ही कार्रवाई पूर्ण कर राज्य स्तर पर एक Chartered Accountant Consultant की नियुक्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

18. उपलब्धि

- (क) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा/हिंसात्मक घटना/ दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को देय अनुग्रह अनुदान की राशि को ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये) से बढ़ाकर ₹5.00 लाख (पाँच लाख रुपये) करने का प्रावधान किया गया है।
- (ख) बिहार ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 के नियम-8(1) के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव को नियत मानदेय की राशि ₹2000.00 (दो हजार रुपये) से बढ़ाकर ₹6000.00 (छह हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह नियत की गयी है। मानदेय की यह राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी है।
- (ग) बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में ग्राम कचहरी न्यायमित्रों को नियत फीस के आधार पर नियोजित किया गया है। उन्हें देय नियत फीस को ₹2500.00 (दो हजार पाँच सौ रुपये) से बढ़ाकर ₹7000.00 (सात हजार रुपये) मात्र प्रतिमाह नियत की गयी है।
- (घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः 5447.00 लाख (चौवन करोड़ सैंतालीस लाख रुपये) मात्र एवं ₹717.24 लाख (सात करोड़ सतरह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य की ग्राम पंचायतों एवं ग्राम कचहरियों को प्रशासनिक व्यय एवं विविध मदों हेतु क्रमशः ₹5149.99 लाख (इक्कयावन करोड़ उनचास लाख निन्यानवें हजार रुपये) मात्र एवं ₹1000.00 लाख (दस करोड़ रुपये) मात्र की राशि उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है।

- (ड.) बिहार पंचायत निर्वाचन संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/पंच की दशा में ₹20000.00 (बीस हजार रुपये), पंचायत समिति के सदस्य की दशा में ₹30000.00 (तीस हजार रुपये), पंचायत के मुखिया एवं सरपंच की दशा में ₹40000.00 (चालीस हजार रुपये), जिला परिषद् के सदस्य की दशा में ₹100000.00 (एक लाख रुपये) से अधिक व्यय, ग्राम पंचायत से सदस्य/पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया तथा सरपंच और जिला परिषद् के सदस्य के किसी उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा संबंधित निर्वाचन के संचालन एवं प्रबंधन पर उपगत नहीं किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- (च) सीवान जिला अन्तर्गत पूर्व से गठित तीन प्रखण्डों, यथा: नौतन, हसनपुरा और जीरादेई, के लिए तीन पंचायत समितियों बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-34 के अधीन क्रमशः नौतन पंचायत समिति, हसनपुरा पंचायत समिति एवं जीरादेई पंचायत समिति का गठन किया गया है। इस प्रकार पंचायत समितियों की कुल संख्या 531 से बढ़कर 534 हो गयी है।
- (छ) **पंचायत पुरस्कार, 2017**— मूल्यांकन वर्ष 2015-16 के आधार पर पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार के लिए लखनऊ में पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) को राज्य के निम्नलिखित 04 (चार) ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया:—
- (i) ग्राम पंचायत—जिगना जगन्नाथ, प्रखण्ड—हथुआ, जिला—गोपालगंज।
 - (ii) ग्राम पंचायत—धरनई, प्रखण्ड—मखदुमपुर, जिला—जहानाबाद।
 - (iii) ग्राम पंचायत—केसरू धरमपुर, प्रखण्ड—गया सदर, जिला—गया।
 - (iv) ग्राम पंचायत—सोहाईपुर, प्रखण्ड—मानपुर, जिला—गया।
- (छ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं कार्यपालक सहायकों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तत्काल ₹10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये) मात्र की राशि का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट-1

राज्य – बिहार
विभाग – पंचायती राज विभाग

1	जिला परिषदों की कुल संख्या	38
2	पंचायत समितियों की कुल संख्या	534
3	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	8386
4	ग्राम कचहरियों की कुल संख्या	8386
5	ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल संख्या	114733
6	ग्राम पंचायत के मुखिया की कुल संख्या	8386
7	पंचायत समिति के सदस्यों की कुल संख्या	11497
8	जिला परिषद के सदस्यों की कुल संख्या	1161
9	ग्राम कचहरी के पंचों की कुल संख्या	114733
10	ग्राम पंचायत के सरपंचों की कुल संख्या	8386
11	ग्राम पंचायत सचिव की कुल कार्यरत संख्या	3635
12	ग्राम पंचायत सचिव की कुल रिक्त संख्या	4751
13	ग्राम कचहरी न्याय मित्र की कुल संख्या	6947
14	ग्राम कचहरी सचिव की कुल संख्या	7474
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी की कुल संख्या	38
16	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की कुल संख्या	528

परिशिष्ट-2

राज्य स्कीम

क्र०	राज्य स्कीम का नाम	2018-19 में कर्णांकित राशि (लाख रुपये में)
मांग संख्या-16 (पंचायती राज विभाग)		
1	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	₹192500.00
2	निर्वाचित प्रतिनिधियों को भत्ता	₹35000.00
3	पंचायत सरकार भवन हेतु भू-अर्जन	₹100.00
4	वाह्य सम्पोषित परियोजना(विश्व बैंक सहायता)	₹6000.00
5	ग्राम पंचायतों के विविध मदों हेतु	₹5149.99
6	ग्राम कचहरी के विविध मदों हेतु	₹1000.00
7	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	₹1000.00
8	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	₹500.00
10	ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी को पुरस्कार	₹0.01
11	कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय	₹1000.00
12	अनुग्रह अनुदान	₹200.00
13	जिला पंचायत स्थापना	₹650.00
14	कुल (क्र०-1 से 13 तक)	₹243100.00 (चौबीस अरब इक्कतीस करोड़ रुपये) मात्र
मांग संख्या-35 (योजना एवं विकास विभाग)		
15	पंचायत सरकार भवन का निर्माण	₹20000.00
16	वाह्य सम्पोषित परियोजना(विश्व बैंक सहायता)	₹14000.00
17	कुल (क्र०-15+16)	₹34000.00 (तीन अरब चालीस करोड़ रुपये) मात्र
मांग संख्या-03 (भवन निर्माण विभाग)		
18	विभाग का आधुनिकीकरण	₹300.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र
19	कुल (क्र०-18 का)	₹300.00 (तीन करोड़ रुपये) मात्र
20	सकल कुल (क्र०-14+17+19) :-	₹277400.00 (सत्ताईस अरब चौहत्तर करोड़ रुपये) मात्र

परिशिष्ट-3

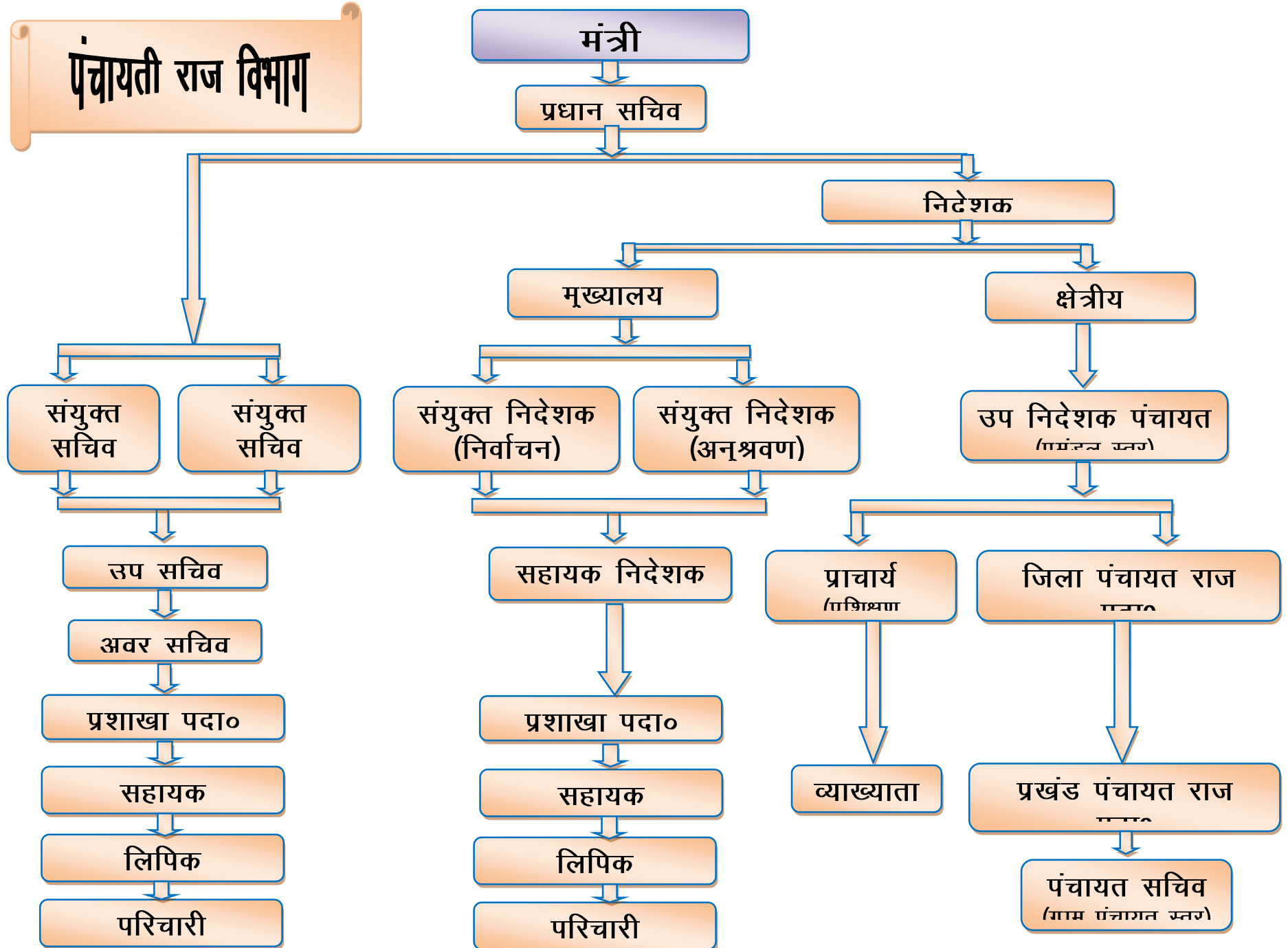
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

क्र०	मुख्यशीर्ष / कार्यक्रम	2018-19 में प्रावधानित राशि (लाख रुपये में)
मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
1.	स्थापना (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	₹ 35156.40
2.	चौदहवाँ वित्त आयोग	₹ 472938.00
3.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अंशदान	₹ 243131.00
मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन		
4.	स्थापना (राज्य निर्वाचन आयोग)	₹ 336.43
5.	पंचायत निर्वाचन	₹ 730.00
मुख्य शीर्ष-3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
6.	स्थापना	₹ 147.72
कुल :-		₹ 752439.55
		पिचहत्तर अरब चौबीस करोड़ उन्नचालीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र

वित्तीय वर्ष वर्ष 2018-19 हेतु मांग संख्या-16 का कुल योग (राज्य स्कीम +
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

$₹243100.00 + ₹752439.55 = ₹995539.55$ लाख

(निन्यानवेँ अरब पचपन करोड़ उन्नचालीस लाख पचपन हजार रुपये मात्र)



बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

पदों की संरचना/संख्या (मुख्यालय)

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	प्रधान सचिव/सचिव	1	1	0	
2	निदेशक	1	1	0	
3	संयुक्त निदेशक-सह-संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव	1	1	0	
4	संयुक्त निदेशक (अनुश्रवण)/संयुक्त सचिव	1	0	1	
5	संयुक्त निदेशक (निर्वाचन)	1	1	0	
6	उप सचिव	1	0	1	
7	अनुश्रवण पदाधिकारी	1	0	1	
8	सहायक निदेशक	1	0	1	
9	अवर सचिव	3	1	2	
10	उप राज्य आयोजक	1	0	1	
11	योजना पदाधिकारी	1	0	1	
12	वैज्ञानिक पद्धति विश्लेषक (कम्प्यूटर)	1	0	1	
13	शाखा आयोजक-सह-ग्रामीण विकास विशेषज्ञ	1	0	1	
14	विशेष कार्य पदाधिकारी	0	0	0	
15	प्रशाखा पदाधिकारी	9	5	4	
16	सहायक	34	10	24	
17	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (6500-10500)(संविदा पर)	1	0	1	
18	प्रधान आप्त सचिव	1	1	0	
19	आप्त सचिव	1	1	0	
20	निजी सहायक	2	0	2	
21	आशुलिपिक	2	1	1	
22	सचिव के सचिव	1	0	1	
23	उच्चवर्गीय लिपिक	8	4	4	
24	निम्नवर्गीय लिपिक	12	3	9	
			2		क्षेत्रीय कार्यालय से दो प्रतिनियुक्त।
25	लेखापाल	1	0	1	प्रभारी
26	रोकड़पाल	1	0	1	प्रतिनियुक्ति पर एक कार्यरत
27	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (मुख्यालय)	2	1	1	
28	प्रधान अनुदेशक	1	0	1	
29	कलाकार-सह-संगणक	1	0	1	
30	वाद्य अनुदेशक	1	0	1	
31	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (संविदा पर)	5	20		आउटसोर्स, बेल्ट्रॉन से संविदा पर
32	चालक	2	0	2	
				5	आउट सोर्स, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संविदा पर
33	ट्रेजरी सरकार	1	0	1	

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत/ सृजित पद	कार्यरत बल	रिक्ति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
34	कार्यालय परिचारी	18	7+2 (महिला)	9	
35	आई०टी० ब्याय/गर्ल (संविदा पर	-	13		आउट सोर्स, बेल्ट्रॉन से संविदा पर

नोट :- क्रमांक 32 पर अंकित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के 5 पद स्वीकृत हैं जबकि कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेल्ट्रॉन से संविदा पर सेवा प्राप्त 20 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं।

पंचायती राज संस्थाएँ

सशक्त

समावेशी

पारदर्शी

उत्तरदायी

पंचायती राज संस्थाएँ